

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ० एफ० पी० भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक:- परि०वि० -131/2012 188 /राँची
प्रेषित,

दिनांक 25-02-2021

श्री दिलीप कुमार
आ०- श्री राधा कान्त, नेहरु कॉलोनी,
कालीमाटी, साक्ची, जमशेदपुर - 831001

विषय : मार्ग जमशेदपुर से जोड़ा पर आपके पक्ष में निर्गत परमिट सं- Psts-03/12(OD) से आवृत
वाहन का प्रतिस्थापन के संबंध में।
प्रसंग: आपका आवेदन दिनांक- 13/02/2021।

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन आवेदन के माध्यम से परमिट सं- Psts-03/12(OD) से आवृत
वाहन सं- JH13A-6451 का वाहन सं-JH05CW-6649 से प्रतिस्थापन का अनुरोध किया गया है।

ध्यातव्य है कि वाहन सं- JH13A-6451 की बैठान क्षमता 53 है, जबकि वाहन सं-
JH05CW-6649 की बैठान क्षमता 41 है। ऐसे में वर्णित वाहन से प्रतिस्थापन की स्थिति में राज्य को
राजस्व हानि की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः निदेश दिया जाता है कि दोनों वाहनों के Tax की अंतर्राशि जमा करने के सम्बन्ध में एक शपथ
पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि वाहन प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त आवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई की जा
सके।


संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड